न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–14/2020
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम पवन कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
13/3/2020 18/3/2020	आदेश प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1255/म0नि0को0 दिनांक–14.12.2019 से प्राप्त जाले थाना कांड सं0–108/19 दिनांक 23.07.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त स्कूटी जिसका रजि0 नं0–BR30U-6546 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग मोटरसाईकिल से अबैध शराब लेकर जाने वाले हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जब मनवा पिउरी मोड़ के पास पहुँचे तो पुलिस गाड़ी को देखकर एक स्कूटी वाला व्यक्ति अपना स्कूटी एवं उसपर प्लास्टिक के बोरी में रखा समान सहीत भागने का प्रयास किया तो शक के आधार पर उसका पिछा किया एवं सहयोगी दल के सहयोग से उक्त वाहन स्कूटी एवं उसपर रखा समान के साथ उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष स्कूटी रजि0 नं0–BR30U-6546 एवं उसपर रखे प्लास्टिक के बोरा की तलाशी ली गयी, तो बोड़ा को खोलने पर रॉयल स्टैग कम्पनी का 180*ml* का 42 बोतल तथा मैकडबलस कम्पनी का 180*ml* का 10 बोतल कुल 52 बोतल अबैध शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी उक्त वाहन स्कूटी के वास्तविक स्वामी हैं। विपक्षी निर्दोष हैं, विपक्षी जाले से घोघराहा जा रहा था उसी क्रम में रास्ते में एक व्यक्ति द्वारा लिफ्ट मांगने पर विपक्षी अपनी उक्त गाड़ी रोका ही था कि पुलिस की गाड़ी आता देख उक्त व्यक्ति अपना सामान रास्ते पर ही छोड़कर भाग गया। जब विपक्षी अपनी गाड़ी से आगे बढ़ा कि पुलिस द्वारा उक्त गाड़ी का पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा बिना जाँच पड़ताल के विपक्षी एवं उक्त वाहन को पकड़ लिया गया। अतः विपक्षी के उक्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन स्कूटी रजि0 नं0–BR30U-6546 से, प्लास्टिक के बोरा में रख कर भारी मात्रा में रॉयल स्टैग कम्पनी का 180*ml* का 42	

बोतल तथा मैकडबलस कम्पनी का 180*ml* का 10 बोतल कुल 52 बोतल अबैध शराब, चौर्य व्यापार के नियत से परिवहन किया जा रहा था जिसे पुलिस बल द्वारा स्वतंत्र साक्षी के समक्ष तलाशी के दौरान बरामद किया गया। तत्पश्चात् पुलिस द्वारा उक्त वाहन के साथ विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी से रास्ते में एक व्यक्ति द्वारा लिफ्ट मांगने पर जब विपक्षी रूका तो पुलिस को देखते ही उक्त व्यक्ति अपना सामान छोड़कर भाग गया, सत्य से परे है। जबकि विपक्षी को उक्त स्कूटी एवं सामान के साथ पुलिस को देखकर भागने के क्रम में खदेड़कर पकड़ा गया तथा दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उक्त स्कूटी पर रखे बोरा की तलाशी के दौरान अवैध शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत जब्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में जाले थाना कांड सं0–108/19 दिनांक 23.07.2019 में जब्त स्कूटी रजि0 नं0–BR30U-6546 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है,

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा